रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 26 जुलाई, 1984/4 श्रावण, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 1984

संख्या 4-29/74-एच०एस०जी०-भाग-II.—जबकि, प्रारूपित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1982, हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जनवरी, 1983 में, सम संख्यांक अधिसूचना दिनांक 16 जून, 1982 द्वारा उनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों मंगवाने के लिए प्रकाशित किया गया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 की धारा 52(2) द्वारा अपेक्षित है;

और जबकि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

1270-राजपत्र/84-26-7-84—1,275. मूल्य : 20 पैसे।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 52 (1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1982 बनाते हैं :—

नियम

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1982

1. (1) ये नियम हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1982 कहे जा सकते हैं।

(2) ये हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना की तारीख से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो :—

(क) "कुटुम्ब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) पुरुष अभिदाता की स्थिति में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां और बच्चे तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे :

परन्तु यदि अभिदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से अलग हो गई है अथवा जिस समुदाय से वह सम्बन्धित है उसकी रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण पोषण की अधिकारी नहीं रही है तो वह अब से उन मामलों में जिससे इन नियमों का सम्बन्ध है अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं समझी जाएगी जब कि अभिदाता इसके उपरान्त स्पष्ट लिखित सूचना द्वारा सचिव को सूचित नहीं करता कि वह उसी रूप में बनी हुई मानी जाएगी।

(2) महिला अभिदाता की स्थिति में, अभिदाता का पति और बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे :

परन्तु यदि कोई अभिदाता सचिव को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की अपनी इच्छा प्रकट करती है तो इसके बाद, आगे के लिए पति को उन मामलों में जिन से यह नियम सम्बन्धित हैं अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता उसके बाद औपचारिक रूप से लिखित रूप में उसे अपवर्जित करने की अपनी सूचना को रद्द नहीं करती ;

टिप्पणी :—

बच्चा/बच्चे से, वैध बच्चा/बच्चे अभिप्रेत हैं और इसमें दत्तक बच्चा/बच्चे भी सम्मिलित है जहां कि विधि द्वारा दत्तक ग्रहण अभिदाता को शासित करने वाली वैयक्तिक विधि द्वारा मान्य है।

(ख) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "ब्याज" से भविष्य निधि में अभिदाता के खाते में बाकी जमा पर प्रोदभूत इस प्रकार गणित ब्याज से जैसे कि ऐसा शेष बचत बैंक में जमा था, या नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन निवेशों से प्राप्त ब्याज की राशि अभिप्रेत है ;

(घ) "भविष्य निधि" से हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 की धारा 15 के अधीन सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि अभिप्रत है ;

(ङ) "वेतन" से मू0 नि0 9(21)(1)(क) में वर्णित वेतन अभिप्रेत है और इसमें विशेष वेतन और महंगाई वेतन और निजि वेतन सम्मिलित हैं परन्तु कोई अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं ;

(च) "कर्मचारी" में बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित है जो बोर्ड के अधीन मूल रूप से स्थाई पद पर कार्यारत है, अथवा स्थायी पद पर स्थानापन्न है परन्तु इसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी सम्मिलित नहीं है ;

स्पष्टीकरण.—जब तक बोर्ड में पदों को स्थायी नहीं कर दिया जाता, बोर्ड में वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त कर्मचारियों सहित, सभी कर्मचारियों द्वारा बोर्ड में एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के ठीक पश्चात् भविष्य निधि में अभिदान करना अपेक्षित होगा ।

(छ) "बचत बैंक" से कोई अनुसूचित, राष्ट्रीय बैंक, सहकारी अथवा डाकघर बचत बैंक अभिप्रेत है ;

(ज) "सेवा" से अभिदाता की बोर्ड नियमित रूप से पद सम्भालने की तारीख से सेवा अभिप्रेत है।

(झ) "अभिदाता" से ऐसा कर्मचारी जिससे भविष्य निधि में अंशदान किया जाना अपेक्षित अथवा अनुमत है, अभिप्रेत है ;

(ञ) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम या हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड नियम, 1973 में क्रमशः उनके हैं ।

3. **भविष्य निधि की स्थापना**.—बोर्ड एक भविष्य निधि की व्यवस्था करेगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी से अपने वेतन का 8⅓ प्रतिशत अथवा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए, अंशदान करना अपेक्षित होगा परन्तु यदि अभिदाता चाहे तो वह अपने वेतन के 20 प्रतिशत से अनधिक उच्च दर पर भविष्य निधि में अंशदान कर सकता है।

4. **अभिदानों की वसूली**.—(1) भविष्य निधि के लिए प्रत्येक अभिदान, अभिदाता के प्रत्येक वेतन बिल में से ऐसे अभिदान की राशि की कटौती द्वारा वसूल किया जाएगा, परन्तु जो कटौती की जानी है उसकी गणना पूर्ण रुपयों में (50 पैसे अथवा उससे अधिक को अगले एक रुपये में) अभिव्यक्त की जाएगी।

(1.) नियम 3 अथवा इस नियम के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि एक ही समय पर चार महीने के अर्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर अनुपस्थित किसी कर्मचारी से भविष्य निधि में अभिदान करना अपेक्षित अथवा अनुमत नहीं होगा ।

5. **भविष्य निधि में बोर्ड द्वारा अंशदान**.—बोर्ड प्रत्येक अभिदाता की भविष्य निधि में उसके वेतन के 8⅓ प्रतिशत की दर से अंशदान करगा :

परन्तु यदि अभिदाता अपनी सेवा के प्रारम्भ होने से पांच वर्ष के भीतर बिमारी अथवा अन्य पर्याप्त कारण के अतिरिक्त सेवा छोड़ता है अथवा बोर्ड की सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है तो बोर्ड उसके भविष्य निधि में जमा राशि में से इस द्वारा किए गए अंशदान की पूर्णता अथवा किसी भाग की और इस पर ब्याज की कटौती कर सकता है।

6. **ब्याज**.—(1) बोर्ड, अभिदाता के जमा लेखों में राज्य सरकार द्वारा समयःसमय पर निर्धारित दर से ब्याज संदत करेगा।

(1.) ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को निम्नलिखित रूप में जमा किया जाएगा :—

(i) चालू वर्ष के दौरान अग्रिम या आहरित राशि को घटा कर, यदि कोई हो, पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को अभिदाता के खाते में जमा राशि पर ;

(ii) चालू वर्ष के दौरान आहरित राशियों पर ब्याज, चालू वर्ष के प्रथम अप्रैल से आहरण के मास से पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक ;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन के पश्चात अभिदाता के खाते में जाम सभी राशि पर ब्याज, जमा कराने की तारीख से चालू वर्ष के 31वें दिन तक ;

(3) ब्याज की कुल राशि की गणना नियम 4 के उप-नियम (1) में दी गई राशि के अनुसार अगले पूर्ण रुपये तक की जायेगी :

परन्तु जब अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाये तो इस उप-नियम के अधीन उस पर ब्याज, यथा-स्थिति, केवल चालू वर्ष की आरम्भिक अवधि से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक जिस को अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो गई है, जमा कराया जाएगा।

7. अभिदाता लेखों का खाता.—(1) बोर्ड भविष्य निधि लेखे का खाता प्रपत्र पी0 एफ0 1 में रखेगा और प्रत्येक अभिदाता के लिये अलग-अलग निर्दिष्ट किया जाएगा और उसमें प्रत्येक मास में प्रत्येक अंशदान की राशि, बोर्ड के अंशदान की राशि और मासिक शेष जिस पर ब्याज गिना जाता है, दर्ज की जायेगी।

(2) बोर्ड भविष्य निधि दायित्वों का लेखा प्रपत्र पी0 एफ0 1 में रखेगा, जिस में ऐसे प्रतिदिन जिस को अभिदाताओं के लेखों में राशियां जमा अथवा निकाली जायें, दर्ज की जायेगी।

स्पष्टीकरण.—प्रपत्र पी एफ0 1-ए में भविष्य निधि खाता, दायित्वों के लेखों प्रपत्र पी0 एफ0 1-ए में से मासिक भरा जाएगा। आहरण/पेशगी की कोई राशि अभिदाता को देने के तुरन्त पश्चात प्रपत्र पी0 एफ0 1-ए में लाल स्याही से दर्शायी जाएगी।

(3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र पी0 एफ0 2 में उसके लेखे की विवरणी देगा जिसमें वर्ष के शुरू का अवशेष तथा वर्ष में अभिदान तथा अंशदान द्वारा जोड़ी गई राशि, उस पर प्रोदभूत ब्याज तथा वर्ष के अन्त में उसके खाते में कुल शेष राशि को दर्शाया जायेगा।

8. अभिदान और अंशदान का संदाय मासिक होगा.— (1) बोर्ड बचत बैंक में "हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा" नाम से एक खाता खोलेगा तथा प्रत्येक मास के आरम्भ में यथासम्भव शीघ्र तथा यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मास के 7वें दिन से पूर्व ऐसे खाते में नियम 4 के उपबन्धों के अधीन प्राप्त अभिदान तथा नियम 5 के उपबन्धों के अधीन देय अंशदान को जमा कराएगा। यह लेखा बोर्ड के सचिव अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा जिसको बोर्ड द्वारा ऐसी शक्तियां विनिर्दिष्ट तथा प्रत्यायोगिता की गई हो।

(2) उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित अभिदान व अंशदान के भुगतान के लिए चैक करने से पूर्व फार्म पी0 एफ0 3 पर बिल तैयार किया जायगा तथा सम्बद्ध वेतन तथा स्थापना बिलों के साथ सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु बोर्ड सभी अभिदाताओं के सम्बन्ध में ऐसे अभिदान व अंशदान का भुगतान एक ही बिल पर तथा एक ही चैक द्वारा अथवा निम्नलिखित कार्यालयों के अभिदाताओं के लिये पृथक-पृथक बिलों पर तथा पृथक चैकों के द्वारा कर सकता है।

(3) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन काटे गये सभी चैक अनुसूचित राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक के प्रबन्धक अथवा पोस्ट मास्टर के नाम होंगे।

9. प्रत्याहरण.—(1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा की राशि जो बचत बैंक में जमा है, में से निम्न स्थितियों के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकेगी :—

(क) नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन निवेष अथवा नियोजन के प्रयोजन से,

(ख) नियम 11 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन किसी अभिदाता को अग्रिम रूप में देने के प्रयो से, अथवा

(ग) नियम 14 के उपबन्धों के अधीन जबकि अभिदाता का खाता बन्द किया जाना है तो अभिदाता अथवा उसके उत्तराधिकारियों को संदाय हेतु।

(2) जब भी हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखों में से कोई राशि निकाली जाये तो वह राशि तुरन्त बोर्ड निधि में जमा करवाई जाएगी। इसका संदाय उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा जिसके लिये वह राशि निकाली गई थी।

10. भविष्य निधि धन का निवेश.—(1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा की बचत बैंक में जमा राशि में से बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर कोई भी धन राशि निकाल सकता है अथवा इस राशि का उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों (यदि कोई हो) के अधीन निवेश अथवा नियोजन कर सकता है जो कि बोर्ड निधि के किसी अंश के निवेश अथवा नियोजन के लिये प्रयोज्य हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिये गये किसी निवेश अथवा नियोजन द्वारा प्राप्त ब्याज, बचत बैंक में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमा करवाया जाएगा:—

(1) बोर्ड एक भविष्य निधि निवेश मूल्य ह्रास निधि (एतद्उपरान्त इन शर्तों में निधि के रूप सन्दर्भित) की स्थापना करेगा जो बचत बैंक में सामान्य भविष्य निधि लेखा के सामान्य खाता के अधीन जमा की जायेगी।

(2) प्रोदभूत होने के तुरन्त बाद निधि में जमा करवाया जाएगा :—

(क) निधि की राशि पर समय-समय पर प्रोदभूत कुल ब्याज, तथा

(ख) उप-नियम (1) के अधीन निवेशित राशि का एक प्रतिशत वार्षिक :

परन्तु निवेशों से प्राप्त तथा अभिदाताओं में आवंटन हेतु उपलब्ध ब्याज, बचत बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज से अन्युन नहीं होना चाहिये।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी निवेशित राशि पर बोर्ड द्वारा प्राप्त ब्याज में से उपरोक्त शर्त (2) (ख) में सन्दर्भित राशि घटान के पश्चात उक्त ब्याज का शेष बचत बैंक में, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा में जमा करवाया जाएगा।

(4) नियम 7 के उप-नियम (2) व (3) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक अभिदाता के लेखें में ब्याज जमा करवा दिये जाने के शीघ्र पश्चात् बोर्ड सचिव, बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित दर्शाते हुए एक विवरणी रखेगा:—

(क) तत्काल पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के मध्य हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि के बचत बैंक खाते में प्रोदभूत ब्याज की कुल राशि जो या तो बचत बैंक में ही अर्जित की गई है अथवा उपरोक्त शर्त (3) के उपबन्धों के अनुसार उसमें जमा की गई है, और

(ख) नियम 7 के उप-नियम (2) व (3) के उपबन्धों के अधीन अभिदाता के लेखों में जमा ब्याज की कुल राशि।

(5) निधि की स्थापना के पांच वर्ष के अन्त में तथा (तदनन्तर) पांच वर्ष के नियमित कालान्तर, बोर्ड द्वारा निर्धारित निधि की विवरणी और निधि की कुल राशि दर्शाती हुई विवरणी, सरकार को संवीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि किसी पंचवर्षीय संवीक्षा पर सरकार का समाधान हो जाता है तो बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड भविष्य निधि लेखा में से अवधारित मुल्य किसी निवेश के मूल्य का ह्रास हो गया है तो यह निर्देश

दे सकती है कि बोर्ड द्वारा निधि में से ऐसी मूल्य ह्रास की राशि से अनधिक राशि को आहरण किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश आवास बोर्द भविष्य निधि लेखा में जमा करवाई जाए।

(7) यदि किसी पंचवर्षीय संवीक्षा पर सरकार का समाधान हो जाता है कि शर्त 6 के अनुसार आहरण के पश्चात् यदि कोई हो, निधि में अवशेष, पांच वर्ष की निकट आगामी अवधि में, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निधि के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा अवधारित किसी निवेश के सम्बन्ध में होने वाले संभाव्य किसी ह्रास मूल्य को पूरा करने हेतु पर्याप्त है तो सरकार निर्देश दे सकती है कि आगामी पांच वर्ष हेतु, शर्त (2) के खण्ड (ख) के अनुसार जमा की जानें वाली राशि इतनी राशि तक कम कर दी जायेगी जैसी कि यह विहित करे अथवा पांच वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि के लिये बन्द कर दी जाएगी, जैसा उसे निर्देश दे।

(8) यदि सरकार द्वारा शर्त (7) के उपबन्धों के अधीन निधि में आवधिक संदायों में किसी कमी अथवा बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं तो वह पश्चातवर्ती किसी पंचवर्षीय संवीक्षा पर निर्देश दे सकती है कि संदायों को मूल आंकड़े अथवा उसके किसी अनुपात तक जैसा यह उचित समझें पूर्ववत किया जाए।

(9) (क) नियम 19 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन किए जाने वाले किसी भी निवेश का खर्च नधि में से किया जाएगा।

(ख) जब किसी निवेश की राशि वसूल की जाती है तथा किसी दलाली और अन्य प्रासंगिक प्रभारों का संदाय करने के उपरान्त प्राप्त शुद्ध मूल्य मूलतः निवेशित राशि से कम है तो अन्तर निधि में जमा कराया जायेगा।

11. अग्रिम धन:—(1) सचिव की स्वीकृति से किसी भी अभिदाता को उसकी भविष्य निधि से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए उस द्वारा अंशदान के रूप में जमा करवाई गई उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित, राशि परन्तु उसके वेतन के छः गुने से अनधिक राशि अग्रिम धन के रूप में दी जा सकती है :—

(क) जहां आवश्यक हो, अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्य अथवा उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा खर्च सहित, बिमारी से सम्बन्धित खर्चे को पूरा करने हेतु;

(ख) जहां आवश्यक हो अभिदाता अथवा अभिदाता के बच्चे के यात्रा खर्चे सहित, निम्नलिखित मामलों में, उच्च शिक्षा के खर्चे को पूरा कसे हेतु अर्थात्:—

(1) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक अथवा जीविका सम्बन्धी शिक्षा के लिए, और

(2) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत में किसी भी मैडिकल, ईजिनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु परन्तु पाठ्यक्रम तीन वर्ष से अन्युन हो;

(ग) अभिदाता के स्तर के अनुसार उचित माप मान पर अनिवार्य खर्चा को देने के लिए जो कि अभिदाता द्वारा सगाई, विवाह, दाहकर्म अथवा अन्य उत्सवों पर उठाने हैं;

(घ) अभिदाता द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निवेदन में किए किसी कार्य अथवा उससे तात्पर्य रखने वाले कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के बारे में अपनी स्थिति को निर्दोष सिद्ध करने हेतु संस्थापित विधिक कार्यवाही के खर्चे की पूर्ति हेतु। इस मामले में प्राप्त अग्रिम धन इसी उद्देश्य हेतु बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से अवज्ञेय अग्रिम धन के अतिरिक्त है :

परन्तु इस उप-खण्ड के अन्तर्गत ऐसे अभिदाता को अग्रिम धन अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी विधि न्यायालय में या तो उसके पदीय कर्तव्य से असम्बधित किसी मामले में या बोर्ड/सरकार के विरुद्ध, सेवा की किसी शर्त या उस पर आरोपित आरित से सम्बन्ध में, विधिक कार्यवाही संस्थापित करता है।

(ङ) अपने प्रतिवाद के खर्च की पूर्ति हेतु, जहां अभिदाता पर बोर्ड/सरकार द्वारा किसी विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया गया है अथवा जहां अभिदाता, इन पर आरोपित पदीय अवचार से सम्बन्धित जांच पड़ताल में, अपने बचाव में, विधि व्यवसायी नियुक्त करता है ;

(च) प्लाट या अपने निवास के लिए आवास फ्लैट के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए या राज्य आवास बोर्ड या विकास प्राधिकरण या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्लाट/आवास/फ्लैट के आवंटन के लिए संदाय करने के लिए :

परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में जिस ने आवास निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम स्वीकृत किए जाने की स्कीम के अधीन, जैसी कि बोर्ड द्वारा बनाई गई है, अग्रिम का उपभोग कर लिया है उपयुक्त स्कीम में/आर्थिक सहायता के अधीन ली गई अग्रिम की राशि को मिला कर इस खण्ड के अधीन ली गई अग्रिम की राशि, ऐसे अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन, आवास निर्माण अग्रिम की देय अधिकतम राशि से अनधिक नहीं होगी;

(छ) बोर्ड असाधारण परिस्थितियों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अभिदाता को खण्ड (क) से (च) के उपबन्धों के शिथिलीकरण में, अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा ।

टिप्पणी :—उपरोक्त उप-खण्ड (घ) के अधीन अग्रिम धन आवेदक को उसी उद्देश्य हेतु किसी अन्य सरकारी स्रोत से अनुज्ञेय किसी अग्रिम धन के अतिरिक्त प्राप्त होगा; परन्तु कथित उप-खण्ड के अधीन अग्रिम धन अभिदाता को या तो उस पर आरोपित आस्ति अथवा किसी सेवा शर्त के सम्बन्ध, में सरकार/बोर्ड के विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में उस द्वारा संस्थापित किसी विधिक कार्यवाही अथवा उसके पदीय कर्तव्यों से असम्बन्धित किसी मामले में किसी विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में अनुज्ञेय नही होगा :

परन्तु कि, ऐसा अग्रिम धन स्वीकृत किया जाएगा जब तक कि अभिदाता की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी न हों कि बोर्ड की राय में प्रदाय अत्यधिक रूप से आवश्यक है :

परन्तु आगे कि जब अभिदाता को पहले ही कोई अग्रिम धन स्वीकृत किया गया है तो अति विशेष कारणों के अतिरिक्त, जिन का सम्मेदक प्राधिकारी द्वारा लिखित अभिलेख किया जाएगा, उसे पूर्वगामी अग्रिम धन के व्याज सहित, अन्तिम प्रदाय से कम से कम बारह महीने बाद तक, पश्चात वर्ती अग्रिम धन स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अग्रिम धन की राशि का 24 अनधिक बराबर किस्तों म प्रतिदेय हो जैसी कि अग्रिम की स्वीकृति के समय बोर्ड द्वारा निश्चित की जाए तथा ऐसी किस्तें नियम 4 में उपबन्धित ढंग से बसूल की जायेगी जैसा कि वे अविधान थी ।

(3) अग्रिम धन की राशि का भविष्य निधि खाता प्रपत्र 1 में के स्तम्भ 6 में अभिलेख किया जाएगा और किस्तों की संख्या जिस में अग्रिम धन वसूलीय है के बारे में स्तम्भ 12 में टिप्पणी दी जाएगी ।

12. अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में जमा भविष्य निधि प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्तियों का नामांकनः— (1) निधि के अन्तर्गत आने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र, सचिव द्वारा प्रत्येक अभिदाता को, प्रपत्र पी० एफ० 7 में अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों के सम्बन्ध में, ऐसे अनुपात में जैसा वह चाहे, यह दर्शाते हुए कि निधि राशि को जो उसके खातें में जमा है, उसकी मृत्यु की स्थिति में क्या करना चाहता है, घोषणा प्रस्तुत करने के लिये कहा जाएगा ।

(2) कोई अभिदाता जिसका परिवार नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नामित कर सकता है परन्तु कि ऐसा नामांकन इन नियमों के अनुसार उसी समय तक किया गया समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता का कोई परिवार न हो ।

(3) यदि अभिदाता किसी समय विवाह अथवा पुनः विवाह करता है तो उपरोक्त उप-नियम (1) अथवा (2) के अधीन पहल की गई कोई घोषणा यथास्थिति तुरन्त अंकृत और शून्य हो जाएगी और जब तक बोर्ड द्वारा संशोधित घोषणा प्राप्त नहीं की जाती तो उसके नाम में जमा राशि पर नियम 14 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) अथवा (ख) यथास्थिति के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

(4) अभिदाता द्वारा नामांकन रद्द किया जा सकता है तथा किसी भी नामांकन द्वारा जो कि इस नियमाधीन स्वीकार्य है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।

13. बीमा पालिसी के लिये संदाय:—बीमा पालिसी के संदाय के हेतु अभिदाता के विकल्प पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भविष्य निधि के अभिदानों के लिये प्रतिस्थापित से कटौती की जा सकती है :—

(1) निधि में अभिदाता के खाते में जमा व्याज सहित केवल अभिदान राशि का ही प्रीमियम के संदाय की पूर्ति हेतु आहरण किया जा सकता है ।

(2) यदि इस नियम के अधीन प्रतिस्थापित संदाय के किसी अभिदान की कुल राशि, नियम 3 के अधीन तिथि में देय राशि से अन्युन है तो अन्तर अभिदाता द्वारा निधि में अभिदान के रूप में संदत्त किया जाएगा ।

(3) "विशुद्व सावधि" पालिसी जिसमें जीवन जोखिम का कोई अवयव अन्तग्रस्त नहीं है के अतिरिक्त, निधि से वित्त पोषित की जाने वाली पालिसी वही होगी जो अभिदाता द्वारा स्वयं अपने जीवन पर निष्पादित की गई है । पालिसी ऐसी होगी जो विधिवत रूप से सचिव को हस्तान्तरणीय हो ।

टिप्पणियां:—(1) कोई गारंटी पालिसी, जो पालिसी धारी को चकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा निवृत किए जाने की स्थिति में बीमाकृत राशि के संदाय को सुनिश्चित करती हो, इस नियम के प्रयोजनो हेतु स्वीकृत की जायेगी । कोई आकस्मिक वार्षिक वजीफा भी जो उसकी मृत्यु की स्थिति में बीमाकृत की पत्नी अथवा बच्चों या दोनों को कोई आय सुनिश्चित करता हो, इस नियम के प्रयोजनों हेतु स्वीकृत किया जायेगा ।

(2) यदि बीमे की कोई पालिसी अभिदाता द्वारा अपने जीवन पर, उस में विशेष रूप से नामांकित एक हितकारी के हित हेतु निष्पादित की है तो बीमाकृत एवं एक मात्र हितकारी द्वारा यथा नियम हस्तांतरण अनुदाय होगा ।

(3) अभिदाता द्वारा अपने जीवन पर, एक से अधिक हितकारियों, चाहे विद्यमान अथवा नहीं, के हित हेतु निष्पादित पालिसी का हस्तान्तरण, सहवर्ती विधिक कठिनाइयों को मध्यनजर रखते हुए, इस नियम के अधीन अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(4) सचिव, अभिदाता की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम (एतदोपरांत एल0आई0सी0 कहलाया जाने वाला) को कोई संदाय नहीं करेगा और वही पालिसी को जारी रखने के लिए कोई पग उठायेगा। यदि कोई अभिदाता वेतन बिल तैयार करने के समय प्रतिमास यह प्रमाणित करता है कि उस द्वारा जीवन बीमा निगम को देय मासिक प्रीमियम नियम 3 के अधीन उसके भविष्यनिधि अभिदान की राशि से अन्युन है तो सचिव इसे स्वीकार करेगा । वह तथापि यह दर्शाती हुई प्रीमियम रसीदें दे अथवा उनकी प्रमाणित प्रतियां कि ऐसे संदाय वास्तव में जीवन बीमा निगम को किये गए हैं, किसी भी समय मांग सकता है और सूक्ष्म जांच कर सकता है। बीमा धारी द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में सचिव अभिदाता के वेतन से भविष्य निधि खाता में जमा करने के लिए आवश्यक कटौती करेगा । यदि अभिदाता ऐसा करना चाहता हो तो वह त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक प्रीमियम के संदाय हेतु निधि से अग्रिम धन के लिए आवेदन कर सकता है।

(5) अभिदाता की निधि में पूर्व जमा किसी राशि का, प्रीमियम के संदाय हेतु अथवा आजीवन पालिसी के एकल संदाय के उद्देश्य हेतु अथवा सचिव के विवेकाधिकार पर इकहरे प्रीमियम के संदाय हेतु, आहरण किया

जा सकता है, परन्तु पूर्व जमा राशियों का अपयोग अभिदाता को उसके वर्तमान वेतन से नियम में विहित परिसीमाओं के भीतर, पार्थिक विनिधान जारी रखने से अवमुक्त नहीं करेगा, चाहे राशि निधि में संदत्त की जाती हो अथवा बीमा पालिसी हेतु अतिरिक्त, इसके जब अभिदाता अर्जित अवकाश की अपेक्षा अन्य अवकाश पर हो ।

टिप्पणी :—कोई राशि जो इकहरे प्रीमियम के संदाय हेतु इस खण्ड के अधीन आहरण की जाए, एकल प्रीमियम को संदत्त करने हेतु अपेक्षित राशि होगी जो बीमा निगम द्वारा प्राप्त होने पर तुरन्त निगम की सम्पत्ति बन जाती है । कोई अभिदाता अपनी पालिसी के आगामी प्रीमियम के संदाय की ओर समायोजन हेतु जीवन बीमा निगम के पास जमा कराने के लिए, निधि में से किसी राशि का आहरण नहीं करेगा । आहरण एकल संदाय सावधि पालिसियों के वित्त पोषण हेतु अनुज्ञेय है और केवल आजीवन पालिसियों हेतु नहीं, और अभिदाता एवं उसकी पत्नी की संयुक्त जीवन पालिसी की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(6) कोई पालिसी रद्द नहीं की जायेगी, यदि—

(1) परिवक्ता तथा मृत्यु पर यदि यह पहले हो जाए देय राशि में अन्तर हो, अथवा

(2) बीमाकृत यह बताने में असमर्थ हो कि परिवक्ता पर लगभग कितनी राशि देय होगी, अथवा

(3) बीमा कराने वाले की जीवन बीमा निगम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की जानी अपेक्षित न हो, या

(4) आहरण राशि एक अथवा अधिक पालिसियों के देय प्रीमियमों की पूर्ति के लिए है, परन्तु कि वे अन्यथा स्वीकार्य हो ।

(7) (क) यदि सचिव को हस्तांतरित कोई पालिसी, अभिदाता द्वारा नौकरी छोड़ने से पूर्व परिपक्व हो जाती है तो सचिव शर्त (1) (क) में उपबंधित के सिवाय, निम्नलिखित आगामी कार्यवाही करेगा :—

यदि उपार्जित लाभांश सहित बीमाकृत राशि किसी पालिसी के सम्बन्ध में ब्याज सहित प्रतिधारित अथवा निधि से आहरणीत कुल राशि से अधिक हो तो सचिव पालिसी को अभिदाता के नाम पुनः हस्तांतरित करेगा तथा इसे उसे लौटा देगा और वह (अभिदाता) समस्त अथवा प्रतिधारित अथवा आहरणीत राशि उस पर उपर्जित ब्याज सहित, निधि में संदत्त करेगा ।

यदि उपार्जित लाभांश सहित बीमाकृत राशि, ब्याज सहित प्रतिधारित अथवा आहरणीत राशि से कम हो तो सचिव बीमाकृत राशि तथा उस पर उपार्जित किसी लाभांश को वसूल करेगा तथा इस प्रकार वसूल की गई राशि को अभिदाता के नाम निधि में जमा करवायेगा ।

(ख) किसी पालिसी पर उपार्जित होने वाले लाभांश पालिसी में संचित होने दिया जाएगा जब तक कि यह परिपक्व नहीं हो जाती, परन्तु यदि पालिसी धारक द्वारा उनके देय होने की तिथि के उन्हें आहरण करना अनिवार्य हो तो राशि निधि में अभिदाता के लेखे में जमा करवाई जाएगी ।

(8) कोई पालिसी, जिस पर, किसी प्रीमियम हेतु संदाय अथवा संदायों को, इस नियम के अधीन निधि में अभिदानों हेतु प्रतिस्थापित किया जाएगा अथवा उसी प्रयोजन हेतु अभिदाता के खाते में राशि से आहरणीत किया जाएगा और जो इस नियम के अधीन सचिव को पूर्व हस्तान्तरित और सौंपी नहीं गई है, ऐसे संदाय अथवा आहरण के तीन मास के भीतर, उस राशि के जो पालिसी के व्ययगत होने अथवा हस्तान्तरण प्रभार या उसके अथवा उस पर ऋण भार की स्थिति में अभिदाता द्वारा निधि में देय हो जाए के आकस्मिक संदाय हेतु हस्तांतरित और प्रतिभूति के रूप में सौंपी जाएगी । अभिदाता द्वारा इस प्रकार किया गया कोई संदाय तब तक उस द्वारा निधि में किसी अभिदाता हेतु प्रतिस्थापन के रूप में नहीं समझा जाएगा जब तक कि आजीवन पालिसी इस प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई हो । ऐसे संदाय अथवा आहरण, यथास्थिति के पश्चात तीन मास के भीतर ऐसा हस्तान्तरण न करने पर इस प्रकार संदत्त अथवा आहरणीत राशि सम्बन्धित अभिदाता द्वारा तुरन्त सचिव को संदत्त अथवा लौटाई जाएगी या ऐसा न करने पर ऐसे अभिदाता के वेतन से काट ली जाएगी ।

(9) (क) इस नियम के अधीन पालिसी का हस्तान्तरण पालिसी पर पृष्ठांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :—

"मैं क, ख, ... एतद्द्वारा बीमा के अन्तर्गत पालिसी का, सचिव, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को उन समस्त राशियों के संदाय हेतु प्रतिभूत के रूप में हस्तान्तरण करता हूं जिस के लिए अंशदान भविष्य निधि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को आसित करने वाले उपबन्धों के अधीन में एतद् पश्चात बोर्ड की अंशदान भविष्य निधि में संदाय हेतु उत्तरदायी हूंगा। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि अन्तर्गत पालिसी का कोई पूर्व हस्तान्तरण विद्यमान नहीं है।"

अथवा अभिदाता द्वारा एक मात्र हितकारी के हित में निष्पादित बीमा पालिसियों की स्थिति में निम्नलिखित रूप में होगा :—

"हम बोर्ड भविष्य निधि के क, ख, (अभिदाता) तथा ..... के ग, घ (पालिसी के एक मात्र हितकारी) बोर्ड के सचिव के हमारे आग्रह पर, मुझे देय अभिदान के प्रतिस्थापन में बीमा की अन्तर्गत पालिसी के संदाय को स्वीकृत करने के प्रतिपल में, बोर्ड के कथित क, ख (अथवा, यथास्थिति, कथित क, ख की निधि में जमा राशि में से अन्तर्गत बीमा पालिसी के संदाय हेतु आहरण स्वीकृत करते है। उन सभी राशियों के संदाय हेतु जिनके लिए कथित क, ख निधि में संदत्त क, ख के लिये उत्तरदायी होगा एतद्द्वारा सयुंक्त तथा पृथक रूप से बीमा की अन्तर्गत पालिसी को प्रतिभूति के रूप में कथित सचिव को हस्तान्तरित करते हैं।

(ख) जैसा कि (9) (ग) की शर्तों में उपबन्धित है के सिवाये पालिसी को अभिदाता पुनः हस्तांतरण किया जायेगा तथा उस द्वारा नौकरी छोड़ने अथवा पालिसी के प्रीमियम के भुगतान के उद्देश्य से निधि से लिए गए किसी अग्रिम धन को ब्याज सहित लौटाने पर उसे अभिदाता को दे दिया जायेगा तथा नौकरी छोड़ने से पूर्व उसकी मृत्यु होने की स्थिति में पुनः हस्तांतरण उसकी परिसम्पति के वैध उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में जिसे इस सम्बन्ध में आदेश देने वाले सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया हो निष्पादित किया जायेगा और पालिसी उस को दे दी जायेगी। पुनः हस्तांतरण की सूचना सचिव द्वारा जीवन बीमा निगम को भेजी जायेगी।

(ग) यदि सचिव को पालिसी के सम्बन्धित किसी हस्तांतरण अथवा कुर्की अथवा ऋण-भार की सूचना प्राप्त हो तो वह पालिसी का पुनः हस्तांतरण अभिदाता के नाम अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में सिविल न्यायालय द्वारा जो इस बारे में आदेश देने में सक्षम हो उसकी परिसम्पति के सम्बन्ध में घोषित वैध उत्तराधिकारी के नाम, उस समय तक नहीं करेगा, जब तक कि वह इस सम्बन्ध में बोर्ड से आदेश प्राप्त न करे!

(10) जीवन पालिसियों के सम्बन्ध में हस्तांतरण तथा पुनः हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) शर्त (13) के अधीन जब हस्तांतरित पालिसी सचिव को सौंपी जाए तो इसके साथ अभिदाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा कि पालिसी के सम्बन्ध में कोई पुनः हस्तांतरण विद्यमान नहीं है। सचिव जब सम्भव हो, जीवन बीमा निगम से पत्र व्यवहार करके स्वतंत्र रूप से अपना समाधान कर सकता है कि पालिसी का कोई पूर्व हस्तांतरण विद्यमान नहीं है।

(ख) पालिसी के अभिहस्तांतरण की सूचना अभिदाता द्वारा जीवन बीमा निगम को दी जायेगी तथा जीवन बीमा निगम से प्राप्त पावती अभिदाता द्वारा अभिहस्तांतरण की तिथि से 3 मास के भीतर सचिव को भेजी जायेगी।

14. **खाता बन्द होने की स्थिति में आहरण**.—(1) अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके खाते में भविष्य निधि खाता (पी0एफ0 1) में खाना संख्या 6 में जमा राशि तथा उस पर अर्जित अद्यतन ब्याज

का वचत बैंक से आहरण किया जायेगा तथा ऐसी राशि का संदाय निम्न रूप से किया जायेगा :—

(क) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है तो—

(1) यदि अभिदाता द्वारा नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के नामों का नामांकन अस्तित्व युक्त है तो उसके नाम निधि में जमा राशि अथवा उसके किसी भाग जिसका नामांकन से सम्बन्ध हो, उसके नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उस अनुपात में जो नामांकन में विनिर्दिष्ट है ।

(2) यदि इस प्रकार का कोई नामांकन अस्तित्वयुक्त नहीं है अथवा ऐसा नामांकन अभिदाता के नाम जमा राशि के किसी भाग से ही सम्बन्धित हो तो पूरी राशि अथवा राशि का वह भाग जिस के सम्बन्ध में नामांकन न किया गया हो अभिदाता के परिवार के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में होने वाले किसी नामांकन के हेतु हुए भी राशि का आधा भाग पति अथवा विधवा अथवा विधवाओं को यथास्थिति तथा आधा भाग अभिदाता के बच्चों को समान रूप में देय होगा :

परन्तु यदि अभिदाता के किसी पुत्र अथवा पुत्री की मृत्यु हो गई है और उनकी विधवाएं अथवा पुत्र अथवा दोनों जीवित हों तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मृत पुत्र के ततसम्बन्धी भाग उनके पुत्रों अथवा विधवाओं अथवा दोनों को समान रूप से देय होगी :

परन्तु आगे कि यदि अभिदाता अपने पीछे केवल एक पति अथवा विधवा अथवा विधवाओं, यथास्थिति छोड़ जाता है तो राशि ऐसे पति अथवा ऐसी विधवाओं को समान रूप से यथास्थिति देय होगी अथवा यदि अभिदाता के केवल बच्चे ही पीछे हों तो पूरी राशि उपरोक्त परन्तु—

(क) अध्यधीन ऐसे बच्चों को समान रूप से देय होगी, अथवा बच्चों तथा विधवा अथवा विधवाओं अथवा पति यथास्थिति, किसी के भी न होने पर यह राशि परिवार के अन्य सदस्यों को समान रूप से देय होगी । परन्तु आगे कि निम्नलिखित को कोई भी भाग देय नहीं होगा :—

(1) विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हों, तथा

(2) मृत पुत्र की विवाहिता पुत्रियां जिनके पति जीवित हों, यदि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति जीवित हो ;

(ख) जब अभिदाता के पीछे कोई परिवार हो—

(1) यदि अभिदाता द्वारा नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सम्बन्ध में नामांकन अस्तित्वयुक्त हो तो अभिदाता के नाम निधि में जमा राशि अथवा उसका कोई भी भाग जिससे नामांकन सम्बन्धित हो उस द्वारा नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उसी अनुपात से देय होगा, जैसा नामांकन में विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(2) यदि कोई नामांकन अस्तित्वयुक्त नहीं है अथवा ऐसे नामांकन का सम्बन्ध निधि में उसके नाम जमा राशि के किसी भाग से हो तो सारी राशि अथवा ऐसा भाग जिससे नामांकन सम्बन्धित नहीं हो उस के वैध उत्तराधिकारी को देय होगा ।

स्पष्टीकरण.—(1) इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु अभिदाता का मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चा यदि वह जीवित पैदा हो उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य माना जायेगा तथा उसे अभिदाता की मृत्यु से पूर्व उत्पन्न हुए बच्चे के समान ही माना जायेगा ।

(2) (i) वितरण अधिकारी द्वारा मामल पर विचार करने से पूर्व मरणोपरान्त उत्पन्न बच्चे के कारण कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । अन्य स्थिति में यदि वितरण अधिकारी के ध्यान में यह बात लाई जाती है

कि अभिदाता के मरणोपरान्त बच्चा उत्पन्न होने की सम्भावना है तो इस स्थिति में जीवित बच्चा उत्पन्न होने की सम्भावना पर उसे प्रिधृत कर ली जायेगी और अवशेष इस उप-नियम के अधीन सामान्य रूप से वितरित किया जायेगा । यदि बच्चा जीवित उत्पन्न होता है तो प्रिधृत राशि का अवयस्क बच्चे को दी जाने वाली राशि के आधार पर उसे संदाय किया जायेगा, परन्तु यदि कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होता अथवा जीवित बच्चा उत्पन्न न होने की स्थिति में प्रिधृत राशि को इस उप-नियम के अध्यधीन परिवार के सदस्यों में वितरित किया जायेगा ।

(ii) नियम 15 के उपबन्धों के अध्यधीन जब अभिदाता बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहता तो उसके लेखे में भविष्य निधि खाता (प्रपत्र पी0 भू0 नि0-1) के स्तम्भ 6 में उसके नाम जमा राशि को अद्यतन अर्जित ब्याज सहित आहरित करके उसे अदा कर दिया जाएगा । परन्तु—

(क) यदि उसका अस्थाई रूप से अन्यथा किसी ऐसी अन्य स्वायत संस्था में स्थानान्तरण हो जाता है जहां भविष्य निधि की व्यवस्था हो अथवा अस्थाई स्थानान्तरण के कारण किसी स्वायत संस्था से ऐसी सेवा में वापिस आने की स्थिति में अपहरित राशि ऐसी अन्य स्वायत संस्था को उस व्यक्ति के भविष्य निधि में जमा करने के लिए दी जायेगी; तथा

(ख) यदि उस का किसी अन्य स्वायत संस्था में अस्थाई स्थानान्तरण हो जाता है तो भविष्य निधि खाता (प्रपत्र पी0 एफ0 1) के स्तम्भ 6 में उसके लेखे में जमा राशि आहरित नहीं की जाएगी, परन्तु उस के खाते में ही जमा रहेगी ।

(3) जब अभिदाता, –

(क) सेवा निवृति पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करता है, अथवा (ख) उसके अवकाश पर होते हुए उसे सेवा निवृति की अनुमति प्रदान की गई हो अथवा उसे आगामी सेवा के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भविष्य निधि खाता (प्रपत्र पी0 एफ0 1) के स्तम्भ 6 में उसके लेखे में जमा राशि, उस द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र देने पर नियम 5 के उपबन्धों के अध्यधीन उसे देय होगी :

परन्तु अभिदाता यदि वह नौकरी पर वापिस आता है तथा यदि बोर्ड द्वारा यह अपेक्षित हो कि इस नियम के अनुसरण निधि से उसे संदत्त राशि अथवा उसके किसी भाग को ब्याज सहित नकद अथवा प्रतिभूति के रूप में किस्तों द्वारा अथवा अन्यथा जैसा कि बोर्ड निर्देश दे उसे निधि में जमा करवानी होगी ।

(4) उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2), उप-नियम (3 में किसी बात के होते हुए भी उन उप-नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिदाता अथवा उसके उत्तराधिकारियों को संदाय के हेतु कोई राशि उस समय तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक ऐसा संदाय तुरन्त न किया जा सकता हो :

परन्तु यदि अभिदाता के भविष्य निधि खाते में 10 रुपये अथवा इससे कम राशि हो तो संदाय एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है अथवा यदि राशि दस रुपये से अधिक हो तो इसका संदाय तीन वर्षों के भीतर दिया जा सकता है, बोर्ड ऐसी राशि को आहरित करके बोर्ड निधि के अवर्गीकृत शीर्ष में जमा करवायेगा तथा उसके पश्चात ऐसी राशि का संदाय अभिदाता अथवा उसके उत्तराधिकारियों को बोर्ड के आदेशों के सिवाय अन्यथा नहीं किया जाएगा ।

(5) इस नियम के उपबन्धों के अधीन जब कोई खाता बन्द हो जाये तो भविष्य निधि खाता लेखा (पी0एफ0 भू0 नि0) में अन्तिम प्रविष्टि तक पृष्ठ में इसके नीचे लाल स्याही से लाइन लगा दी जायेगी ।

15. खाता बन्द होने की स्थिति में राशि प्रतिधारित करना :—(1) नियम 14 में किसी बात के होते हुए भी खाता बन्द होने के समय यदि अभिदाता द्वारा बोर्ड की कोई राशि देय हो तो नियम 14

के अधीन निधि में उसके नाम जमा राशि का भुगतान करने से पूर्व बोर्ड ऐसी राशि की कटौती कर सकता है, परन्तु ऐसी राशि बोर्ड द्वारा अभिदाता के खाते में दिये गये अंशदान तथा उस पर प्रतिभूत ब्याज की कुल राशि से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।

(2) यदि कोई अभिदाता जिसे निधि में अभिदान देने की अनुमति दी गई हो अथवा उस द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो बिमारी अथवा किसी अन्य कारण से जो सचिव की राय में पर्याप्त हो, के अतिरिक्त अपनी नौकरी आरम्भ करने के 5 वर्ष के भीतर अपने पद से त्याग-पत्र दे देता है अथवा उसे बोर्ड की सेवा से पदच्युत किया जाता है तो बोर्ड उस द्वारा उसके निधि में जमा करवाया गया अंशदान अथवा इसके किसी भाग को उस पर प्रोतभूत ब्याज सहित, अभिदाता के खाते में जमा राशि में से कटौती कर सकता है ।

16. **बोर्ड द्वारा रखे जानें वाले सामान्य लेखे.**—बोर्ड निम्नलिखित का संधारण करेगा :—

(1) प्रपत्र पी0 एफ0 4 पर भविष्य निधि लेखा,

(2) प्रपत्र पी0एफ0 5 पर भविष्य निधि लेखा,

(3) प्रपत्र पी0 एफ0 6 पर भविष्य निधि निवेप लेखा अथवा यदि भविष्य निधि निवेश मूल्य ह्रास का संधारण किया गया हो तो प्रपत्र भविष्य निधि 6-क पर भविष्य निधि निवेश लेखा तथा प्रपत्र पी0 एफ0 6-ख पर भविष्य निधि निवेश मूल्य ह्रास निधि लेखा, तथा

(4) प्रपत्र पी0 एफ0 8 पर एक लेखा जिसमें भविष्य निधि अभिदाताओं के बीमा प्रीमियम के लिए उपलब्ध राशि दिखाई गई हो ।

17. **व्यावृति.**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के प्रवर्तन से अभिदाता को कोई अनुचित कठिनाई होती है या होने की सम्भावना है, तो यह ऐसे अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही कर सकेगा जैसी कि इसे न्यायसंगत तथा साम्य - पूर्ण प्रतीत हो ।

18. **उन मामलों में जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, अंशदायी भविष्य निधि (भारतीय) नियम, 1962 का लागू होना.**—ऐसे मामलों में जिनके लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, इन नियमों के अधीन विनियमित बोर्ड के कर्मचारियों पर, अंशदायी भविष्य निधि (भारतीय) नियम, 1962 के समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्ध, जो इन नियमों के अधीन किए गए उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, लागू होंगे ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (आवास),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला
भविष्य निधि लेखा

प्रपत्र पी0 एफ0 1
नियम 7 (1)

लेखों की संख्या रजिस्टर | अभिदाता का नाम | पन्ना संख्या | स्थापना पड़ताल राशि

संख्या	जमा	अंशदान	कुल	आहरण	वास्तविक मासिक हस्तगत शेष	मासिक अवशेष जिस पर ब्याज गणित किया जाता है	आहरणों का मासिक अवशेष पर ब्याज का ना मिलना गणित किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8
	रु0 पै0	रु0 पै0	रु0पै0	रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0
	प्रारम्भिक अवशेष						
	अप्रैल						
	मई						
	जून						
	जुलाई						
	अगस्त						
	सितम्बर						
	अक्तूबर						
	नवम्बर						
	दिसम्बर						
	जनवरी						
	फरवरी						
	मार्च	(अनुपूरक)					
	कुल						

पूर्व वर्ष का बकाया
जमा तथा वापसियां
19————————के लिये ब्याज

यथा युक्त आहरण की कटौती की जाये
31 मार्च———————— को बकाया।

————————द्वारा गणना की गई ————द्वारा जांच पड़ताल की गई

पूर्व वर्ष का बकाया————————
————————वर्ष के लिए परिषद् का अंशदान
————————के लिए ब्याज

कुल आहरण की कटौती की जाये ————————

31 मार्च————————को बकाया
————द्वारा गणना की गई ————————
द्वारा जांच पड़ताल की गई।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0 1-ए
नियम 7 (2)

19————————————————के लिये भविष्य निधि दायित्व लेखा

जमा कार्ता की संख्या	नाम और पद संख्या	अवशेष	अप्रैल			
			जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंश-दान	जोड़

मई				जून			
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंश-दान	जोड़	जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंश-दान	जोड़

जुलाई				अगस्त			
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़	जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़

सितम्बर				अक्तूबर			
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़	जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़

नवम्बर				दिसम्बर			
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़	जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़

जनवरी				फरवरी			
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़	जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़

मार्च						
जमा करने की तिथि	वेतन में से कटौती	बोर्ड द्वारा अंशदान	जोड़	वर्ष के लिए जमा किया गया ब्याज	आगामी वर्ष के लेखे में आगे ले जाई गई राशि	अभ्युक्तियां

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड

प्रपत्र पी0 एफ0-2

नियम 6(4)

अभिदाता का वार्षिक लेखा

अभिदाता का नाम———————

विवरण	राशि
———————तारीख को खाते में शेष/प्राप्त अभिदान तथा अंशदान/प्रोद्भूत ब्याज	रु0 पै0
अग्रिम धन के अवशेष पर प्रोद्भूत ब्याज जिस उपर्युक्त में से कम किया जाना है	
अग्रिम धन की बकाया (जिसे जोड़ में से कम किया जाना है)	
.....तारीख को लेखे में अवशेष	जोड़

लेखा के सही होने के सम्बन्ध में यदि अभिदाता कोई प्रतिवेदन करना चाहता हो तो वह बोर्ड के सचिव के नाम नीचे दी गई तिथि के एक महीने के भीतर लिखित रूप से दे सकता है।

दिनांक.....

सचिव,
हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ।

लेखापाल के हस्ताक्षर ।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला

[नियम 8 (2)]

प्रपत्र पी0 एफ0 3

भवष्यि निधि बिल

संख्या.....वर्ष.....मास.....,

विस्तृत लेखा शीर्ष	वेतन अथवा स्थापना बिल की संख्या तथा दिनांक	अभिदान की राशि	अंशदान की राशि	जोड़
1	2	3	4	5

जोड़.....

दिनांक.....

.....रु0 संदत्त किए जाएं।

निरीक्षण के पश्चात् प्रविष्टि की गई।

सचिव अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर।

लेखा पाल

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0 4.
नियम 16
भविष्य निधि लेखा

दिनांक	बचत बैंक में जमा किया	बचत बैंक द्वारा जमा ब्याज	बचत बैंक से आहरण — राशि — बोर्ड निधि के लिए आधारित जमा राशि की चलान संख्या	प्रत्येक लेनदेन के निवेश के उपरान्त शेष	आहरित राशि का अग्रिम लेख बन्द धन के करने पर रूप में अभिदाताओं अथवा उसके उत्तरासंदाय अधिकारी को संदाय — बिल संख्या — राशि	बिल संख्या — राशि	निपटान बोर्ड निधि को वापिस किया — बिल संख्या — राशि

हिमाचल प्रदेश
प्रपत्र पी0एफ0 5
नियम
भविष्य निधि

			निवेषों का क्रय			
क्रमांक	दिनांक	बिल संख्या	निवेश का विवरण	नाम मात्र का मूल्य	लागत	
					भविष्य निधि में डाला जाने वाला वास्तविक मूल्य	बोर्ड निधि में डाली जाने वाली दलाली तथा अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7

*इस स्तम्भ में दिखाई जाने वाली राशि वही होनी चाहिये जो स्तम्भ 6 में दिखाई गई है।

आवास बोर्ड

16

निवेश लेखा

						निवेशों का विक्रय	
ब्याज/प्राप्त शुद्ध मूल्य						प्रतियों क. निपटान	
कुल लागत	दर	राशि	राशि	विक्री के कारण प्राप्त दलाली तथा अन्य कुल प्रभार	बचत बैंक में भविष्य निधि लेखे के पुनः संदाय के लिए बिल की संख्या	पुनः संदाय की गई राशि	बोर्ड निधि नामे डाले गए (—) अथवा जमा किया (+) अन्तर
8	9	10	11	12	13	14	15

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0-6
नियम 16
भविष्य निधि निवेश ब्याज लेखा

भविष्य निधि निवेश लेखे में एल0 आई0 टी0 पी0एफ0 5 में क्रय	देय ब्याज की किस्तें		19.....से	19.....तक	
	दिनांक	राशि	दिनांक राशि प्राप्तियों का निपटान भविष्य निधि में संदत्त किया गया	ब्याज की प्राप्त किस्तें	प्राप्तियों का निपटान भविष्य निधि में संदत्त की गई
	बिल की संख्या और राशि	बोर्ड निधि में संदत्त	बिल की संख्या और दिनांक	राशि	बोर्ड निधि में संदत्त
	रुपये	रुपये			रुपये

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0-6
नियम 16
भविष्य निधि निवेश ब्याज लेखा

19.....से 19.....तक

प्राप्त ब्याज की किस्तें		प्राप्तियों का निपटान		ब्याज की प्राप्त किस्तें		प्राप्तियों का निपटान	
दिनांक	राशि	बिल की संख्या व दिनांक	भविष्य निधि में संदत्त राशि बोर्ड निधि में संदत्त की गई	दिनांक	राशि	बिल की संख्या व दिनांक	भविष्य निधि संदत्त की गई बोर्ड निधि में संदत्त की गई
रुपये			रुपये	रुपये			रुपये

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0 6-क
नियम 16
भविष्य निधि निवेश ब्याज लेखा

चालू वित्त वर्ष के दौरान निवेशों पर ब्याज की राशि	बचत बैंक में जमा की गई राशि से प्राप्त ब्याज की राशि	जोड़	मूल्य ह्रास निधि में जमा की जाने वाली राशि	प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त में अभिदाताओं में वितरित की जाने वाली राशि	अभ्युक्तियां
				राशि शेष	
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी.—नियमों के नियम 3(क) और (ख) के अन्तर्गत अवमूल्यन निधि के नाम में डाली जाने वाली राशि का इस फार्म के खाना 4 में ऋण प्रविष्टि और खाना 6 में ब्योरा दिखाया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0 एफ0 6-ख
नियम 16
भविष्य निधि निवेश मूल्य ह्रास निधि लेखा

दिनांक	बचत बैंक में भविष्य निधि निवेश मूल्य ह्रास निधि में जमा की गई राशि खाते में: अवशेष	पन्ना संख्या	राशि	बचत बैंक में निवेश मूल्य ह्रास निधि की राशि पर अर्जित ब्याज	निधि से आहरणीत की जाने वाली राशि की स्वीकृति से सम्बन्धित बोर्ड के आदेश की क्रम संख्या और दिनांक	4-5 (ख) का शेष राशि
1	2	3(क)	3(ख)	4	5(क)	5(ख)
			रुपये			रुपये

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड
प्रपत्र पी0एफ0-7
नियम 19(1)

भविष्य निधि घोषणा फार्म

.....अभिदाता

मैं एतद्द्वारा धोषित करता हूं कि मेरी मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि के मेरे खाते में जमा राशि निम्नलिखित व्यक्तियों में उनके नाम के आग दिखाए गए ढंग से वितरित की जाए । ऐसे मनोनीत व्यक्तियों को देय राशि जो मेरी मृत्यु के समय अवयस्क हो उस व्यक्ति को संदत्त की जानी चाहिए जिसका नाम स्तम्भ 5 में वर्णित है ।

मनोनीत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम व पता	अभिदाता के साथ सम्बन्ध	क्या वयस्क है अथवा अवयस्क है यदि अवयस्क है तो उसकी आयु लिखें	जमा की गई राशि में हिस्सा	उस व्यक्ति का नाम व पता जिसे अवयस्क की ओर से भुगतान किया जाना है	स्तम्भ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों का लिंग व माता-पिता का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

वहां अविवाहित अथवा विधुर होना निर्दिष्ट करें ।

अभिदाता के हस्ताक्षरों के दो साक्षी

साक्षी संख्या 1:
हस्ताक्षर .....
व्यवसाय .....
पता .....
.....

साक्षी संख्या 2:
हस्ताक्षर .....
व्ययवास .....
पता .....
.....

अभिदाता के हस्ताक्षर .....
अभिदाता का व्यावसाय .....
अभिदाता का पता .....
स्थान .....
दिनांक .....

टिप्पणी .—नियम 12 के अनुसार परिभाषित, परिवार रखने वाले अभिदाता को अपने घोषणा प्रपत्र में यह अनुमति नहीं दी जायेगी कि वह निधि में अपनी जमा राशि अथवा इसका कोई हिस्सा अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दे ।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड

प्रपत्र पी0एफ0 8

नियम 12

भविष्य निधि अभिदाता के जीवन बीमा प्रीमियम के संदाय हेतु प्राप्त राशि दर्शाने वाला रजिस्टर

पी0 एफ0 लेखा संख्या .....

नाम .....

बीमा के हेतु प्राप्य भविष्य निधि अभिदान

दिनांक	(क) जीवन बीमा प्रीमियम के पिछले भुगतान के लिए आहरणीत राशि के पश्चात् अभिदाता द्वारा जमा की गई राशि	(ख) पिछले आहरण की तिथि से अभिदाता की अपनी जमा की गई राशि पर अर्जित ब्याज	स्तम्भ 2 (क) और 2 (ख) का जोड़	संदत्त की गई अग्रिम धन राशि	प्रत्येक लेन देन के पश्चात् अवशेष	अभ्युक्तियां
	2		3	4	5	6

टिप्पणी.—बीमा पालिसी बोर्ड के नाम हस्तांतरित किए जाने का तथ्य और पालिसी की संख्या रजिस्टर के अभ्युक्तियों के स्तम्भ में वर्णित की जानी चाहिए ।

[*Authoritative English text of Notification No.* 4-29/74-*HSG-V.II, dated* 4-4-1984 *is hereby published under Article* 348 (3) *of the Constitution of India for the general information.*]

Whereas the draft Himachal Pradesh Housing Board Employees Contributory Provident Fund Rules, 1982 were published in the Himachal Pradesh Rajpatra of 15th January, 1983 *vide* Notification of even number, dated the 16th June, 1982 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby as required under section 52(2) of the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972.

And whereas the objections and suggestions received within the stipulated period have duly been considered by the Government;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 52(1) of the aforesaid Act, is hereby pleased to make the following Himachal Pradesh Housing Board Employees Contributory Provident Fund Rules, 1982:—

RULES

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD EMPLOYEES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES, 1982

1. (*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Housing Board Contributory Provident Fund Rules, 1982.

(*ii*) They shall be deemed to have come into force with effect from the date the Himachal Pradesh Housing Board came into being.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or the context:—

(*a*) "family" means—

(*i*) in the case of male subscriber, the wife or wives and children of the subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him, or has ceased under the customary law of the community to which he belongs, to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently indicates by express notice in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

(*ii*) in the case of a female subscriber, the husband and children of the subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels formally in writing her notice excluding him;

Note.—Child/children means legitimate child/children and includes an adopted child/children where adoption is recognised by personal law governing the subscriber.

(*b*) "Government" means the Government of the State of Himachal Pradesh;

(*c*) "interest" means interest accrued on the balance at credit of a subscriber to the Provident Fund calculated as if such balance were a deposit in the Savings Bank; or the amount of interest received from investments under sub-rule (2) of rule 10;

(*d*) "Provident Fund" means the provident fund established by the Government under section 15 of the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 ;

(*e*) "salary" means monthly salary classed as pay in F.R. 9 (21) (*a*) and includes special pay and dearness pay and personal pay, but does not include any othe allowances;

(*f*) "savings bank" means the saving bank of any Scheduled, Nationalised Bank, Co-operative or the Post Office Saving Bank ;

(*g*) "servant" includes every employee of the Board who holds a permanent post in a substantive capacity under the Board or is officiating against a permanent post but does not include a Government servant employed by the Board ;

Explanation.—Until the posts in the Board are declared permanent, the employees of the Board (including those appointed on work-charged basis) shall be required to subscribe to the Provident Fund immediately after completing one year's continuous service with the Board.

(*h*) "service" means service of the subscriber from the date of joining the service of the Board on regular basis;

(*i*) "subscriber" means servant who is required or permitted to subscribe to the Provident Fund ;

(*j*) all other words and expressions used in these rules but not defined here shall have the same meanings as have been respectively assigned to these in the Act, or the Himachal Pradesh Housing Board Rules, 1973.

3. *Establishment of Provident Fund.*—The Board shall administer a Provident Fund to which every servant shall be required to subscribe at the rate of $8\frac{1}{3}\%$ of the salary or as determined by the Government from time to time:

Provided that a subscriber if he so desires may contribute to the Provident Fund at a higher rate not exceeding 20% of his salary.

4. *Recovery of subscriptions.*—(1) Every subscription to the Provident Fund shall be recovered by means of a deduction of the amount of such subscription from each salary bill of the subsciber; provided that in calculating the deduction to be made it shall be expressed in whole rupees (fifty paise and above counting as the next nigher rupee).

(2) Notwithstanding anything contained in rule 3 or in sub-rule (1) of this rule, no servant shall be required or permitted to subscribe to the Provident Fund while he is absent on leave except during earned leave upto four months at a time.

5. *Board's contribution to Provident Fund.*—The Board shall contribute to the Provident Fund of each subscriber at the rate of $8\frac{1}{3}$ % of his salary:

Provided that if the subscriber leaves service within five years of the commencement of his service, except on account of illness or any other sufficient cause, or is dismissed from the service of the Board, the Board may deduct from the amount standing to his credit in the Provident Fund, the whole or any part of the contribution made by it and the interest thereon.

6. *Interest rate.*—(1) The Board shall credit the interest at such rate as may be fixed by the State Government from time to time in the account of the subscriber.

(2) Interest shall be credited on the 31st March every year in the following manner:—

(*i*) on the amount at credit of a subscriber as on 31st March of the preceding year, reduced by the amount, if any, advanced/withdrawn during the current year;

(*ii*) on sums, withdrawn during the current year interest from the 1st April of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(*iii*) on all sums credited to the subscriber's account after 31st March of the preceding year interest from the date of deposit upto 31st March of the current year.

(3) The total amount of interest shall be rounded off to the nearest rupee in the manner provided in sub-rule (1) of rule-4:

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this sub-rule in respect only of the period

from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

7. *Ledger of account of subscribers.*—(1) The Board shall maintain a Provident Fund ledger in from P.F. 1 of which separate portions shall be assigned to each subscriber and these shall be entered therein each month the amount of each subscription, the amount of the Board's contribution and the monthly balance on which interest is to be calculated.

(2) The Board shall maintain a Provident Fund liabilities account in Form P.F. 1 which shall be posted up on every day on which amounts are credited or debited to the accounts of the subscribers.

Explanation.—The Provident Fund ledger in Form P.F. 1 shall be posted monthly from the liabilities account from P.F.1-A. Any amount of withdrawal/advance shall be shown in Form P.F.1-A in red ink immediately after the withdrawal/advance is made to the subscriber.

(3) At the end of each year the Board shall furnish each subscriber with a statement in Form P.F. 2 showing the balance at the beginning of the year, the amounts added hereto by way of subscriptions and contributions and the interest accrued during the year and the balance at the credit of his account at the end of the year.

8. *Payment of subscription and contributions to be made monthly.*—(1) The Board shall open an account to be called the "Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account" with the Saving Bank and as soon as may be at the beginning of each month and if possible before the 7th day of each month shall pay into such account the amount of all subscriptions recovered under the provisions of rule 4 and of the contributions payable under the provisions of rule 5. The account shall be operated by the Secretary of the Board, or by such other officer, to whom such powers are specifically delegated by the Board.

(2) Before a cheque is drawn for payment of subscription and contributions as required by sub-rule (1), a bill shall be prepared in Form P.F. 3 and submitted with the relevant salary and establishment bills for signatures to the Secretary or other officer authorised for this purpose :

Provided that the Board may make payment of the subscription and contributions on a single bill and by means of a single cheque in respect of all subscribers or on separate bills and by means of separate cheques in respect of subscribers of different offices.

(3) All cheques drawn under the provisions of sub-rule (2) shall be drawn in favour of the Manager of the Scheduled, Nationalised or Co-operative Bank of the Post Master.

9. *Withdrawals.*—(1) No sum shall be withdrawn from the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account with the savings bank except:—

(*a*) under the provisions of sub-rule (*i*) of rule 10 for the purpose of investment or placement ;

(*b*) under the provisions of sub-rule (1) of rule 11 for the purpose of making an advance to a subscriber; or

(*c*) under the provisions of rule 14 when a subscriber's account is to be closed for payment to the subscriber or his heirs.

(2) Whenever a sum is withdrawn from the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account such sum shall forthwith be credited to the Board Fund. The payment shall be made therefrom for the purpose for which the sum was withdrawn.

10. *Investment of Provident Fund moneys.*—(1) With the previous sanction of the Government the Board may from time to time, withdraw any sum from the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account with the Saving Bank and may invest or place such sum subject to the conditions and restrictions, if any, applicable to the investment or placement of a portion of the Board Fund.

(2) The interest obtained by the investment or placement of any sum under sub-rule (1) shall be deposited in the savings bank to the credit of the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account subject to the following conditions:—

(1) The Board shall establish a Provident Fund Investments Depreciation Fund (hereinafter in these conditions referred to as the fund) which shall be deposited in the savings bank under the general account of the General Provident Fund Account.

(2) These shall be credited to the fund immediately on accrual —

(*a*) all interest accruing on the amount of the fund from time to time ; and

(*b*) one per cent per annum of the sum invested under sub-rule (1) ; provided that the interest received from investments and available for distribution amongst the subscribers should not be less than the interest obtainable from the savings bank.

(3) After deducting from the interest obtained by the Board on any sum invested under sub-rule (1) the amount referred to in condition (2)(*b*) above, the remainder of the said interest shall be deposited in the savings bank to the credit of the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account.

(4) At the end of each year immediately after the account of each subscriber has been credited with interest in accordance with the provisions of sub-rules (2) and (3) of rule 7, the Secretary of the Board shall lay before the Board a statement showing:—

(*a*) the total amount of interest accrued to the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Saving Bank Account during the year just closed either earned in the savings bank itself or credited thereto in accordance with the provisions of condition 3 above; and

(*b*) the total amount of interest credited to subscriber's accounts under the provisions of sub-rules (2) and (3) of rule 7.

(5) At the close of five years after the institution of the fund and at regular intervals of five years thereafter the Board shall furnish to the Government for scrutiny a statement of the fund held by the Board, and a statement showing the total amount in the fund.

(6) If the Government is satisfied at any quinquennial scrutiny that any of the investments held by the Board out of the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund Account have depreciated in value, it may direct that an amount not exceeding the amount of such depreciation shall be drawn by the Board from the fund and credited to the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund account.

(7) If the Government is satisfied at any quinquennial scrutiny that the balance in the fund after the withdrawal, if any, or any sum in accordance with condition 6 is sufficient to cover any depreciation likely to occur during the next following period of five years in regard to any of the investments held by the Board as Part of the Himachal Pradesh Housing Board Provident Fund, the Government may direct that for the next five years the amounts to be

deposited in the fund in accordance with clause (*b*) of condition 2 shall be reduced to such sum as it may prescribe or shall be discontinued for such period not exceeding five years as it may direct.

(8) If any reduction or discontinuance of the periodical payments into the fund has been ordered by the Government under the provisions of condition 7, it may at any subsequent quinquennial scrutiny direct that the payments be restored to the original figure or to any proportion thereof as it may deem fit.

(9) (*a*) The cost of making any investment, under the provisions of sub-rule (1) of rule 10, shall be met out of the fund.

(*b*) When any investment is realised and the net price obtained after payment of any brokerage and other incidental charges is less than the amount originally invested, the difference shall be credited to the fund.

11. *Advance.*—(1) With the sanction of the Secretary any subscriber may, upto the amount contributed by the subscriber including interest accrued thereon, be granted an advance from his Provident Fund an amount not exceeding six times the amount of his salary for any of the following purposes and no other purpose :—

(*a*) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him ;

(*b*) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or child of the subscriber in the following cases, namely:—

(*i*) for education outside India for an accademic, professional, technical or vocational course beyond the High School stage ; and

(*ii*) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(*c*) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothals or marriages, funerals or other ceremonies ;

(*d*) to meet the cost of legal proceeding instituted by the subscriber for vindicating his position an regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Board source :

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against Board/Government in respect of any condition of service or penalty imposed on him.

(*e*) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by Board/Government in any court of law or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct of his part.

(*f*) to meet the cost of plot or of construction of a house/flat for his residence or to make payment towards the allotment of plot/house/flat by the State Board or a Development Authority or a House Building Co-operative Society:

Provided that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme for the grant of advances for house-building purposes, as formulated by the Board, the amount of the advance taken under this clause together with amount of advance taken under the aforesaid scheme/assistance, shall not exceed the maximum amount of house building advance admissible under the rules governing the grant of such an advance.

(g) the Board may sanction an advance to a subscriber in exceptional circumstances for the reasons to be recorded in writing, in relaxation of the provisions of clauses (*a*) to (*f*) ;

Note.—An advance under sub-clause (*d*) above shall be available to the applicant in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source but the advance under the said sub-clause shall not be admissible to a subscriber either in respect of any legal proceedings instituted by him in any court of law against the Government/Board as regards any penalty imposed on him or any condition of service or in respect of any legal proceedings in regard to any matter unconnected with his official duties:

Provided that no such advance shall be sanctioned unless the pecuniary circumstances of the subscriber are such that the indulgence is, in the opinion of the Board, absolutely necessary:

Provided further that when an advance has already been granted to a subscriber, a subsequent advance shall not be granted to him until at least twelve months after the final repayment of all previous advances together with interest thereon and except for very special reasons to be recorded in writing by the sanctioning authority.

(2) The amount of the advance shall be repayable in not more than twenty-four equal instalments as may be fixed by the Board when sanctioning the advance and such instalments shall be recovered as if they were subscription in the manner provided in rule 4.

(3) The amount of an advance shall be recorded in column 6 of the Provident Fund ledger (Form PF-1) and a not shall be made in column 12 as to the number of instalments by which the advance is recoverable.

12. *Namination of pernons to receive the amount of Provident Fund at the credit of the subscriber on his death.*—(1) Each subscriber shall, as soon as possible after the joins the fund, be by called upon the Secretary to furnish a declaration in Form P.F. 7 in favour of one or more members of his family, in such proportions as he may like showing what he wishes to be done with the fund money at his credit in the event of his death.

(2) A subscriber who has no family, may nominate any other person or persons, provided that such a nomination shall be deemed to have been duly made in accordance with these rules only for as long as the subscriber has no family.

(3) If a subscriber at any time acquires a family or remarries, any declaration already made under sub-rule (1) or (2) above as the case may be, shall forthwith become null and void and unless a revised declaration is received by the Board the amount of his accumulations shall be dealt with under clause (*a*) or (*b*) of sub-rule (1) of rule (14). as the case may be.

(4) A nomination may be cancelled by a subscriber and replaced by any nomination which is permitted to be made under this rule.

13. *Payment towards a policy of insurance.*—Payments towards a policy of insurance at the option of subscribers, be substituted for, or deducted from, subscriptions to the Provident Fund subject to the following conditions:—

(*i*) only the amount of subscription with interest thereon, standing at the credit of a subscriber in the fund, may be with drawn to meet the payment of premia;

(*ii*) if the total of any subscription of payment substituted under this rule is less than the amount of subscription payable to the fund under rule 3; the difference shall be paid by the subscriber as subscription to the fund;

(*iii*) the policy to be financed from the fund shall be the one effected by the subscriber himself on his own life except a "Pure Endowment" policy which involves no element of risk on life. The policy shall be such as is legally assignable to the Secretary ;

Notes:—1. A guarantee policy which ensures the payment of the sum assured in the event of the policy-holder being retired by the Medical Board, shall be accepted for the purposes of this rule. A contingent annuity, which in the event of his death, ensures a certain in come to the insurant's wife or children or both, shall also be accepted for the purposes of this rule.

2. If a policy of insurance is effected by a sunscriber on his own life for the benefit of a sole beneficiary especially named therein, a formal assignment by both the insured and the sole beneficiary shall be permissible. An assignment of policy effected by a subscriber on his own life for the benefit of more than one beneficiary, whether existent or not at the date of the policy shall not in view of the attendant legal difficulties, be permissible under this rule :

(*iv*) the Secretary shall not make any payment on behalf of the subscribers to Life Insurance Corporation of India (herein after called the LIC) nor shall he take steps to keep the policy alive. If a subscriber certifies every month at the time of preparation of the pay bill that the monthly premium payable by him to LIC is not less than the amount of his Provident Fund subscription under rule 3, the Secretary shall accept the same. He can, however, demand and scrutinise, at any time, the premium receipts or certified copies thereof showing that such payments have actually been made to the LIC. In the event of the insurants not furnishing the same, the Secretary shall make the necessary deductions from the subscriber's pay for deposit in his provident fund account. Should the subscriber prefer to do so, he may apply for an advance fron the fund for payment of his quarterly, half yearly or yearly premium;

(*v*) any sums already at the credit of the subscriber in the fund may be withdrawn for the payment of premium or for the purpose of a single payment of life policy or at the discretion of the Secretary, for the payment of a single premium, but the utilisation of sums already at credit shall not relieve the subscriber from continuing to make the usual allocation from his current salary within the limits prescribed in rule 3, whether the amount is to be paid into the fund or towards an insurance policy except when the subscriber is on leave other than earned leave;

Note.—The amount which may be withdrawn under this clause for payment of a single premium is the amount required to pay a single premium which on receipt by the LIC at once becomes the property of the Corporation. A subscriber shall not withdraw an amount from the fund for deposit with the LIC for adjustments towards payments of future premia on his policy. Withdrawals are premissible to finance single payment endowment policies and not merely whole life policies

and there should be no objection to the acceptance of a policy on the joint lives of a subscriber and his wife ;

(*vi*) a policy shall not be rejected; if

(1) there is a difference between the amount payable at maturity and death if it occurs earlier ; or

(2) the assured is unable to say that what amount precisely will be payable at maturity ; or

(3) the insurant has not been required to be medically examined by L.I.C; or

(4) the amount withdrawn is to meet the premium due for one or more policies, provided thay are otherewis acceptable ;

(*vii*) (*a*) if a policy assigned to the Secretary matures before the subscriber quits the service, the Secretary shall, save as provided in condition (*ix*) (*a*) proceed as follows:—

If the amount assured together with the amount of any accrued bonus is greater than the whole of the amount withheld or withdrawn from the fund in respect of the policy with interest thereon the Secretary shall reassign the policy to the subscriber and make it over to him, and he (the subscriber) shall pay to fund the whole or any amount withheld or withdrawn with interest accrued thereon;

If the amount assured together with the amount of any accrued bonuses is less than the whole of the amount withheld or withdrawn with interest, the Secretary shall release the amount assured together with any accrued bonuses and shall place the amount so realised to the credit of the subscriber in the fund ;

(*b*) the bonuses which accrue on any policy may be allowed to accumulate with the policy until it matures, but if it is incumbent on the policy holder to withdraw them as they fall due, the amount shall be credited to the subscriber's account in the fund ;

(*viii*) a policy, the payment or payments for any premia on which, shall under this rule, be substituted for subscriptions to the fund or withdrawn from the sum at the credit of a subscriber for the same purpose and which has not already been assigned to the Secretary and delivered to him under this rule shall within three months of such payment or withdrawal be so assigned and delivered as security for the payment contingently of the sum which, in the event of lapse of the policy or any assignment charge or encumbrance thereof or thereon becomes payable by the subscriber to the fund. No payment so made by a subscriber shall be considered as in substitution for any subscription by him to the fund unless and until the life policy shall have been so assigned. In default of such assignment within 3 months, after such payment or withdrawal as the case may be, the amount so paid or withdrawn shall forthwith be paid or repaid by the subscriber concerned to the Secretary or shall in default be deducted from such subscriber's pay ;

(*ix*) (*a*) the assignment of a policy under this rule shall be endorsed on the policy and shall be in the following form:—

"I, A,B, of.....hereby assign unto the Secretary of the Himachal Pradesh Housing Board, the within policy of insurance as security for payment of all sums which under the provisions governing the Contributory Provident Fund of the Himachal Pradesh Housing Board, I may hereafter become liable to pay to the Contributory Provident Fund of the Board. I hereby certify that no prior assignment of the within policy exists."

or in the case of policies of insurance effected by subscriber for the benefit of a sole beneficiary as follows:

"We, A,B, ... (the subscribers) of the Board Provident Fund and CD (the sole beneficiary of the policy) of.....in consideration of the Secretary of the Board, agreeing at our request to accept payments towards the within policy of

assurance in substitution for the subscriptions payable to me, the said A,B, to the Board Provident Fund (or as the case may be to accept the withdrawal of the sum of rupees..... from the sum to the credit of the said A,B, in the Fund for payment of the premium of the within policy of assurance) hereby jointly and severally assign unto the said Secretary the within policy of assurance as security for payment of all sums which the said A,B may hereafter become liable to pay to that fund."

(*b*) save as provided in conditions (*ix*) (*c*), the policy shall be reassigned to the subscriber and handed back to him on quitting his service or on his refunding with the full interest thereon any advances taken from the fund for the purpose of paying premia thereon and in the event of his death before quitting the service, a reassignment shall be executed in favour of and the policy be handed over to the legal representative of his estate and determined by a civil court competent to pass orders in this respect. Notice of reassignment shall be sent to the LIC by the Secretary;

(*c*) if notice has been received by the Secretary of any assignment or attachment of, or encumbrance on the policy, he shall not execute a reassignment of the policy in favour of the subscriber or in the event of his death, of the legal representative of his estate as determined by a civil court competent to pass orders in this respect until he has obtained the orders of the Board ;

(*x*) the following procedure shall be observed in regard to the assignment and reassignment of life policies:—

(*a*) when the assigned policy is delivered to the Secretary under condition (*viii*), it shall be accompanied by a certificate from the subscriber to the effect that no prior assignment of the policy exists. The Secretary shall satisfy himself independently by direct reference to the LIC, where possible, that no prior assignment of the policy exists;

(*b*) notice of the assignment of policy shall be given by the subscriber to the LIC and acknowledgment of the notice of the L.I.C. shall be sent by the subscriber to the Secretary within three months of the date of assignment.

14. *Withdrawal on closing of account.*—(1) When the subscriber dies, the amount shown to the credit of his account in column 6 of the Provident Fund Ledger (P.F.1.) plus interest accrued to-date shall be withdrawn from the savings bank, and payment of such amount shall be made,—

(*a*) when the subscriber leaves a family—

(*i*) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 12 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the fund or part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(*ii*) if no such nomination subsists or such nomination relates only to a part of the amount standing to the credit of the subscriber, the whole amount or the part not covered by the nomination shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person other than a member of the subscriber's family, become payable as to one moiety to the husband or the widow or in equal shares to the widows, as the case may be and as to the other moiety in equal share to the children of the subscriber:

Provided that if one or more of his sons have died leaving behind their widows or sons or both, the respective shares of each such deceased son shall be payable in equal shares amongst their sons or widows or both:

Provided further that if the subscriber has left only a husband or widow or widows, as the case may be, the amount shall become payable to such husband or widow or in

equal shares to such widows, as the case may be, or if the subscriber has left only children the whole of the amount shall become payable to such children in equal shares subject to provision (*i*) above, or failing both children and widows or husband, as the case may be, in equal shares among other members of the family:

Provided further that no share shall be payable to—

(1) married daughters whose husbands are alive; and
(2) married daughters of a deceased son whose husbands are live ;

if there is any other member of the family in existence;

(*b*) when the subscriber leaves no family—
(*i*) of a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 12 in favour of any persons or persons subsists, the amount so standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;
(*ii*) if no nomination subsists, or if such nomination relates to a part of the amount standing to his credit in the fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, shall be payable to his legal heirs.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule a subscriber's posthumous child shall be considered to be a member of his family at the time of his death and if born alive, shall be treated in the same way as surviving child born before the subscriber's death.

(2) (*i*) The case of a posthumous child already born when the case is taken up by the disbursing officer will present no difficulty. For the rest if the possibility of the birth of a posthumous child is brought to the notice of the disbursing officer the amount which will be due to the child in the event of his being born alive, shall be retained, and the balance distributed in the normal way under this sub-rule. If the child is born alive, payment of the amount retained should be made as in the case of a minior child; but if no child is born or the child is still born, the amount retained should be distributed among the family in accordance with this sub-rule.

(*ii*) Subject to the provisions of rule 15, wherein when subscriber ceses to be a servant of the Board, the amounts own to the credit of his account in column 6 of the Provident Fund Ledger (Form F.F.1.) plus interest accrued to date shall be withdrawn and shall be paid to him :

(*a*) if he is transferred otherwise than temporarily to the service of another autonomous institution which maintains a Provident Fund or when having been transferred temporarily from the service of another autonomous institution he reverts to such service, the amount withdrawn shall be paid to such other autonomous institution for credit to his Provident Fund Account with such autonomous institution, and
(*b*) if he is transferred temporarily to the service of another autonomous institution, the amount shown to the credit of his account in column 6 of the Provident Fund Ledger (Form P.F.1.) shall not be withdrawn but shall remain to the credit of his account.

(3) When a subscriber:—

(*a*) has proceeded on leave preparatory to retirement; or
(*b*) while on leave, has been permitted to retire or declared by competent authority to be unfit for further service, the amount shown at the credit of the account in cloumn 6 of the Provident Fund Ledger (Form P.F.1.) shall, upon application made by him in that behalf, become payable to him subject to the provisions of rule 5;

Provided that the subscriber, if the returns to duty shall, if required to do so by the Board, repay the fund for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the fund in pursuance of this sub-rule with interest thereon in cash or securities or partly in cash or partly in securities, by instalments or other wise as the Board may direct.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), or sub-rule (3), no amount shall be withdrawn for payment to a subscriber or his heirs under the provisions of these sub-rules unless such payment can be made immediately; provided that that if such payment can be made within one year if the amount at credit of the subseribers Provident Fund Account is ten rupees or less, or within three years if such amount is more than ten rupees, the Board shall withdraw such amount and credit it to the Board Fund—Unclassified head of Account & no payment shall there after be made to the subscriber or his heirs except under the orders of the Board.

(5) When an account is closed under the provision of this rule a line shall be drawn in red ink across the page below the last entry in the Provident Fund Ledger Account (P.F.I.)

15. *Amounts to be withheld when Account is closed:*—(1) Notwithstanding anything contained in rule 14, if any sum is due from a subscriber to the Board at the time when his account is closed, the Board may deduct the amount of such sum, but not exceeding in any case the total amount of its contributions credited to the account of the subscriber and interest accrued thereon before making payment under rule 13 of the amount at his credit in the fund.

(2) When the subscriber who is required or permitted to subscribe to the fund resigns within five years of the commencement of his service except on account of illness or any other cause which the Secretary may deem to be a sufficient cause or has been dismissed from the service of the Board, the Board may deduct from the sum standing at his credit in the fund, the whole or part of the contribution made by it to his Provident Fund and the interest thereon.

16. *General Accounts to be maintained by Board.*—The Board shall maintain:—

(1) a Provident Fund Account in P.F. 4;
(2) a Provident Fund Investments Account in Form P. F. 5;
(3) a Provident Fund Investments Interest Account in Form No. P.F. 6 or if a Provident Fund Investment Depreciation Fund is maintained, a Provident Fund Interest Account in Form P.F. 6-A and a Provident Fund Investment Depreciation Fund Account in Form P. F. 6-B; and
(4) an account in Form P.F. 8 showing the amount available for payment of insurance premium of the Provident Fund subscribers.

17. *Saving.*—Notwithstanding anything contained in these rules, when the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause any undue hardship to a subcriber, it may deal with the case of such subscriber in such manner as appears to it, to be just and equitable.

18. *Application of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, for matters not specified in these rules.*—The provisions of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, as amended from time to time, shall be applicable to the employees of the Board governed under these rules, in respect of the matters not specifically provided and which are not inconsistent with the provisions made under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Housing).

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 1
Rule 7(1)

NUMBER OF ACCOUNT..... PROVIDENT FUND LEDGER

NAME OF SUBSCRIBER.....FOLIO NO.....

ESTABLISHMENT CLERK

Year Month	Subscriber's contribution						Board's share				
	Emoluments	Subscription	Refunds of Advance	Total	Withdrawals/ advances	Monthly balance on which interest is calculated	Emoluments	Subscription	Withdrawals if any	Monthly balance on which interest calculated	Remarks
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
April											
May											
June											
July											
August											
September											
Oct.											
Nov.											
December											
January											
Feb.											
March											
March (Supplementary)											
Total											

Balance from previous year.....
Deposits and refunds .....
Interest for 19 -19 .....
Total .....

Deduct withdrawals as above
Balance as on 31st March, ...
Calculated by .....Checked by .....

Balance from the previous year .....
Board's contribution for the year.....
Interest for 19 -19 .....
Total .....

Deduct withdrawals .....
Balance as on 31st March.....
Calculated by.....Checked by.....

Provided that the subscriber, if the returns to duty shall, if required to do so by the Board, repay the fund for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the fund in pursuance of this sub-rule with interest thereon in cash or securities or partly in cash or partly in securities, by instalments or other wise as the Board may direct.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), or sub-rule (3), no amount shall be withdrawn for payment to a subscriber or his heirs under the provisions of these sub-rules unless such payment can be made immediately; provided that that if such payment can be made within one year if the amount at credit of the subseribers Provident Fund Account is ten rupees or less, or within three years if such amount is more than ten rupees, the Board shall withdraw such amount and credit it to the Board Fund—Unclassified head of Account & no payment shall there after be made to the subscriber or his heirs except under the orders of the Board.

(5) When an account is closed under the provision of this rule a line shall be drawn in red ink across the page below the last entry in the Provident Fund Ledger Account (P.F.I.)

15. *Amounts to be withheld when Account is closed:*—(1) Notwithstanding anything contained in rule 14, if any sum is due from a subscriber to the Board at the time when his account is closed, the Board may deduct the amount of such sum, but not exceeding in any case the total amount of its contributions credited to the account of the subscriber and interest accrued thereon before making payment under rule 13 of the amount at his credit in the fund.

(2) When the subscriber who is required or permitted to subscribe to the fund resigns within five years of the commencement of his service except on account of illness or any other cause which the Secretary may deem to be a sufficient cause or has been dismissed from the service of the Board, the Board may deduct from the sum standing at his credit in the fund, the whole or part of the contribution made by it to his Provident Fund and the interest thereon.

16. *General Accounts to be maintained by Board.*—The Board shall maintain:—

(1) a Provident Fund Account in P.F. 4;
(2) a Provident Fund Investments Account in Form P. F. 5;
(3) a Provident Fund Investments Interest Account in Form No. P.F. 6 or if a Provident Fund Investment Depreciation Fund is maintained, a Provident Fund Interest Account in Form P.F. 6-A and a Provident Fund Investment Depreciation Fund Account in Form P. F. 6-B; and
(4) an account in Form P.F. 8 showing the amount available for payment of insurance premium of the Provident Fund subscribers.

17. *Saving.*—Notwithstanding anything contained in these rules, when the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause any undue hardship to a subcriber, it may deal with the case of such subscriber in such manner as appears to it, to be just and equitable.

18. *Application of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, for matters not specified in these rules.*—The provisions of Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, as amended from time to time, shall be applicable to the employees of the Board governed under these rules, in respect of the matters not specifically provided and which are not inconsistent with the provisions made under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Housing).

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 1
Rule 7(1)

NUMBER OF ACCOUNT..... PROVIDENT FUND LEDGER

NAME OF SUBSCRIBER.....FOLIO NO.....

ESTABLISHMENT CLERK

Year Month	Subscriber's contribution						Board's share				
	Emoluments	Subscription	Refunds of Advance	Total	Withdrawals/ advances	Monthly balance on which interest is calculated	Emoluments	Subscription	Withdrawals if any	Monthly balance on which interest calculated	Remarks
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
April											
May											
June											
July											
August											
September											
Oct.											
Nov.											
December											
January											
Feb.											
March											
March (Supplementary)											
Total											

Balance from previous year.....
Deposits and refunds .....
Interest for 19 -19 .....
Total .....

Deduct withdrawals as above
Balance as on 31st March, ...
Calculated by .....Checked by .....

Balance from the previous year .....
Board's contribution for the year.....
Interest for 19 -19 .....
Total .....

Deduct withdrawals .....
Balance as on 31st March.....
Calculated by.....Checked by.....

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 1-A
Rule 7 (2)

PROVIDENT FUND LIABILITIES ACCOUNT FOR THE YEAR 19

Number of depositer	Name and Designation	Opening Balance	April				May				June			
			Date of credit	Deductions from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total

July				August			
Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total

September				October			
Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deductions from salary	Board's contribution	Total

November				December			
Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deductions from salary	Board's contribution	Total

January				February			
Date of credit	Deduction from salary	Board's contribution	Total	Date of credit	Deductions from salary	Board's contribution	Total

March				Interest added for the year	Total carried to next years account	Remarks
Date of credit	Deductions from salary	Board's contribution	Total			

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P. F. 2
Rule 7 (3)

SUBSCRIBER'S ANNUAL ACCOUNT

Name of Subscriber .....

Detail	Amount Rs.	P.
Balance at credit in account on subscriptions and contributions received		
Interest accrued		
Less—Interest on balance of advance		
Total ...		
Less—Amount of advance outstanding		
Balance at credit in account on		

Any representation with regard to the correctness of the account, which the subscriber may wish to make should be made in writing within one month from the date noted below to the Secretary to the Board.

DATED:

Secretary,
Himachal Pradesh Housing Board

Initials of Accountant ——————

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P. F. 3
Rule 8 (2)

PROVIDENT FUND BILL

No. ..... Year..... Month.....

Detailed head of account	Number and date of salary or establishment bill	Amount of subscription	Amount of contribution	Total
Total				

Signature of Secretary or
Head of Department.

DATED:

Pay Rs.

Examined and entered.

Signature of Officer
authorised to order payment.

Accountant.

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 4
Rule 16

PROVIDENT FUND ACCOUNT

Date	Remitted to Savings Bank		Interest credited by saving bank	Withdrawal from Saving Bank		Balance after each transaction	Disposal of sum withdrawn				Refund to Board Fund
	Bill No.	Amount		No. of challan crediting amount withdrawn to Board Fund	Amount		Investments		Payments to subscriber by way of advance		Payment to subscriber or his heirs on closure of account	
							Bill No.	Amount	Bill No.	Amount	Bill No.	Amount

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P. F. 5

Rule 16

PROVIDENT FUND INVESTMENTS ACCOUNT

Purchase of investments

Sr. No.	Date	Bill No.	Description of investment	Nominal value	Cost		
					Actual price debitable to Provident Fund	Brokerage and other charges debitable to Board Fund	Total cost
1	2	3	4	5	6	7	8
							Rs.

Sale of proceeds

Interest		Net price released	Disposal of proceeds			
Rate	Amount	Amount	Brokerage and other gross price charges realised on account of sale	No. of bill for repayment to provident fund account in Saving Bank	Amount repaid to be provident fund	Difference debited or credited (+) to Board Fund
9	10	11	12	13	14	15
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.

*The amount to be shown in this column should be the same amount as shown in column 6.

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 6

Rule 16

PROVIDENT FUND INVESTMENTS INTEREST ACCOUNT

Serial No. in Provident Fund Investment Account (L.I.T./P.F.5)	Date	Amount	Date	Amount
		Rs.		Rs.

Instalments of interest due 19 -19

Disposal of proceeds			Instalments of interest received		Disposal of proceeds		
Paid into provident fund					Paid into provident fund		
Number and date of bill	Amount	Paid into Board fund	Date	Amount	Number and date of bill	Amount	Paid in to Board fund
	Rs.			Rs.		Rs.	

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 6

Rule 16

PROVIDENT FUND INVESTMENTS INTERES T ACCOUNT—*concld.*

19 -19

Instalments of interest received			Disposal of proceeds			Instalments of interest received		Disposal of proceeds
			Paid into provident fund					Paid into provident fund
Date	Amount	Number and date of bill	Amount	Paid into Board Fund	Date Amount	Number and date of bill	Amount	Paid into Board Fund
	Rs.		Rs.		Rs.		Rs.	

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P. F. 6-A

Rule 165

PROVIDENT FUND INVESTMENTS INTEREST ACCOUNT

Amount of interest on investments during the current financial year	Amount of interest received on the sum deposited in the savings bank	Total	Amount creditable to the depreciation fund	Balance to be distributed subscribed at the close of March each year	Remarks
1	2	3	4	5	6

Note.—The amount debitable to the depreciation fund under sub-rule 3 (*a*) and (*b*) of rule 10 should be shown as minus entries in column 4 of this form and the particulars given in column 6.

Form P.F. 6-B

Rule 16

PROVIDENT FUND INVESTMENTS DEPRECIATION FUND ACCOUNT

Date	Balance at credit	Amount credited to the Provident Fund Investment Depreciation Fund in the Savings Bank		Interest earned on the investment depreciation fund money in the savings bank	Payments		Balance 4—5	Remarks
		Folio No.	Amount		Number and date of the order of the Board sanctioning withdrawal from the fund	Amount		
1	2	3(a)	3(b)	4	5(a)	5(b)	6	7
			Rs.			Rs.		

HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD

Form P.F. 8

Rule 16 (4)

REGISTER SHOWING THE AMOUNT AVAILABLE FOR PAYMENT OF INSURANCE PREMIA OF PROVIDENT FUND SUBSCRIBER

P.F. Account No.....
Name.....

PROVIDENT FUND SUBSCRIPTION AVAILABLE FOR INSURANCE

Date	(a) Amount of deposit made by the subscriber since the last withdrawal for payment of insurance premium was made	(b) Interest earned since the date of last withdrawal on subscribers own deposits	Total of column 2 (a) & 2(b)	Advance paid	Balance after each transaction	Remarks
1	2		3	4	5	6

Note.—The fact that the insurance policy has been assigned to the Board as well as the number of policy should be noted in the Remarks column on the register.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।